



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 2014/फाल्गुन 22, 1935

No. 645]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 2014/PHALGUNA 22, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

का.आ. 754(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क, तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच दिनांक 05.03.2014 को हुए अनुपूरक करार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 835 (अ), तारीख 26.03.2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

- (i) पैरा 2 में अंतिम बिन्दु का डिजाइन चैनेज 445.853 कि.मी. की बजाय संशोधित होकर 446.955 कि.मी. हो जाएगा।
- (ii) पैरा 3 में उल्लिखित सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 70.100 कि.मी. की बजाय संशोधित होकर 71.202 कि.मी. हो जाएगी।
- (iii) सारणी 1 और 2 के पश्चात् बिन्दु 1 निम्न प्रकार से संशोधित हो जाएगा :

नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी.) में जिसके लिए शुल्क संदेय है
कि.मी./चैनेज 370.420 (झज्जर जिले में डीघल गांव के पास)	38.280
कि.मी./चैनेज 430.000 (रिवाड़ी जिले में गंगयाचा जाट गांव के पास)	32.922 (12.453 कि.मी. लम्बे रिवाड़ी बाइपास को छोड़कर)

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/658/11-12/सीओ/जीसी रोहतक(रोहतक-बावल) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2014

S.O. 754(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Supplementary Agreement dated 05.03.2014 entered between the Authority and the Concessionaire, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 835 (E), dated 26.03.2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

- (i) The Design Chainage of the End Point in Para 2, shall stand revised to km. 446.955 instead of km. 445.853.
- (ii) The net road section length referred to in Para 3 shall stand revised to 71.202 km instead of 70.100 km.
- (iii) Point 1 after Table 1 & 2 shall stand revised as under:

The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s)(chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable
Km/Ch. 370.420 (Near Dighal village in Jhajjar district)	38.280
Km/Ch. 430.000 (Near Gangaycha Jatt village in Rewari district)	32.922 (excluding 12.453 km. long Rewari Bypass)

[F. No. NHAI/13013/658/11-12/CO/GC Rohtak (Rohtak-Bawal) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.